मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन–0755–2543175,2737341
E-mail : mpwaqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in
website : www.mpwaqfboard.org

क्र. 228–3/बोर्ड–शाखा /2025/226, भोपाल दिनांक 28-4-25

//परिपत्र//

वक्फ सम्पत्तियों के विकास हेतु कार्यालयीन प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष बोर्ड बैठक क्र. 15 के आयटम न. 05 दिनांक 05.11.2024 में प्रस्तुत किया गया। कार्यालयीन प्रस्ताव पर विचार उपरान्त बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में कार्यवाही की जाकर पुनः इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक क्र. 15 के आयटम न. 05 दिनांक 05.11.2024 द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो निम्नानुसार है:–

"मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के पास वर्ष 1989 वक्फ सर्वे से लेकर वर्तमान तक की स्थिति में पूरे मध्यप्रदेश में लगभग 15000 से अधिक वक्फ संपत्तियॉ दर्ज है। इन संपत्तियों में लगभग 5900 हैक्टेयर वक्फ भूमि कृषि प्रयोजन के लिये सम्मिलित होते हुये शासकीय राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। विगत कई वर्षो से राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विकास गतिविधियॉ तेजी से की जा रही हैं जिसके फलस्वरूप नगर निगम सीमा का विस्तार, ग्राम निवेश सीमा का विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रों के लिये Special Economic Zone (SEZ) की घोषणा, आवास निर्माण के लिये भूमियों के उपयोग में बदलाव के कारण समग्र रूप से क्षेत्रों का विस्तार, नये जिलों/तहसीलों के सृजन के कारण क्षेत्रफल में विस्तार, मुख्य एवं सह सड़क मार्गों का विस्तार एवं निर्माण, प्रधानमंत्री सड़क योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के कारण गॉवों का शहरों से संपर्क विस्तार, औद्योगिक विकास एवं अन्य विकास गतिविधियों के साथ–साथ व्यापार, व्यवसाय, बाजारों का विकास की गतिविधियों एवं इनके लिये भूमि की आवश्यकता के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के अधिकतर शहरों, कस्बों एवं ग्रामों की समस्त वक्फ भूमियॉ जिसमें वक्फ कृषि भूमियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकासशील क्षेत्र/विकसित क्षेत्र तथा विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों की सीमा अंतर्गत आने के साथ–साथ आबादी के क्षेत्रों के अंतर्गत भी आ गई हैं।

उल्लेखित है कि राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा अनैक क्षेत्रों की भूमियों का उपयोग रहवासी/औद्योगिक/व्यवसायिक Special Economic Zone (SEZ) घोषित कर दिये जाने के साथ–साथ भूमियों की शासकीय मूल्य गाईड लाईन समय समय पर बाजार मूल्य के मान से घोषित करने के कारण, समस्त वक्फ संपत्तियॉ अतिमूल्यवान हो गई हैं। जिसके कारण इन वक्फ भूमियों पर अतिक्रमण के प्रकरण निरंतर बढ़ते जा रहे हैं साथ ही इनमें से अधिकतर वक्फ भूमियों से वक्फ बोर्ड को नाममात्र की आय प्राप्त हो रही या कहीं–कहीं शून्य आय है। उपरोक्त स्थिति के कारण अब इन समस्त वक्फ भूमियों की सुरक्षा एवं लाभप्रद उपयोग सुनिश्चित किया जाना अतिआवश्यक हो गया है तथा वर्तमान स्थिति में इन वक्फ भूमियों पर कृषि कार्य करना संभव नहीं रह गया है।

वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा–32 में वक्फ बोर्ड की शक्तियॉ एवं उसके कृत्य के संबंध में निम्नानुसार स्पष्ट उल्लेख किया गया है :–

धारा–32(1) – बोर्ड की शक्तियॉ और उसके कृत्य – ऐसे किन्ही नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाऐ जायें, राज्य में सभी औकाफ का सामान्य अधीक्षण, राज्य के लिये स्थापित बोर्ड में निहित होगा, तथा बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग कर जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि उसके अधीक्षण के अधीन आने वाले औकाफ को उचित रूप से अनुरक्षित, नियंत्रित और प्रशासित किया जाता है और उनकी आय का उन उददेश्यों तथा उन प्रयोजनों के लिए सम्यक रूप से उपयोजन किया जाता है जिनके लिए ऐसे वक्फ सृष्ट किए गए थे या आशयित थे :

परंतु किसी वक्फ की बाबत इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में, बोर्ड, वाकिफ के निर्देशों, वक्फ के प्रयोजनों और वक्फ की किसी प्रथा या रूढ़ि के अनुरूप कार्य करेगा, जिसे मुस्लिम विधि की ऐसी शाखा द्वारा मंजूरी दी गई हो।

धारा–32 (2)(ढ) – औकाफ के ओर वक्फ संपत्ति के स्वरूप ओर विस्तार का अन्वेषण और अवधारण करना तथा जब कभी आवश्यक हो, वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कराना :

धारा–32(2)(ढक) - वक्फ भूमि या भवन का उचित किराया, एसी रीति में, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अवधारित करना या अवधारित करवाना।

धारा–32(2) (4) – जहॉ बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि किसी वक्फ भूमि पर जो वक्फ सपंत्ति है (शैक्षिक संस्था, वाणिज्यिक केन्द्र, बाजार या आवासीय फ्लैटों के रूप में विकास की या ऐसे अन्य विकास की संभावना है) वहॉ वह संबंधित वक्फ के मुतवल्ली से, उस पर सूचना की तामील करने यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह, साठ दिन से अन्यून ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अपना विनिश्चय सूचित कर कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट विकास संकर्मों को निष्पादित करने के लिये इच्छुक है या नहीं।

उल्लेखित है कि वक्फ अधिनियम में कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सभी वक्फ संपत्तियों को प्रावधान अनुसार दीर्घ पटटे पर अधिकतम 30 वर्ष के लिये दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

उल्लेखित है कि धारा–32 में वक्फ बोर्ड को इन सपंत्तियों के संबंध में योजना अनुसार निर्णय लेकर वक्फ के लाभ के लिये उपयोग किये जाने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है तथा यह धारा वक्फ सम्पत्तियों के उपयोग को बदलकर अन्य लाभप्रद उपयोग में लेने के अधिकार वक्फ बोर्ड को प्रदान करती है।

कृषि भूमियों का उपयोग अन्य प्रयोजनों में करने हेतु दीर्घकालीन पटटे पर भूमियॉ लेने हेतु इच्छुक संस्थायें समक्ष में भेंट कर प्रस्ताव देती रहती हैं। इसी संबंध में विगत में वक्फ बोर्ड के समक्ष विभिन्न संस्थाओं, व्यवसायिक संस्थानों आदि द्वारा समक्ष में भेंट कर शहरी क्षेत्र एवं उसके आसपास की कृषि भूमियों पर व्यवसायिक, शेक्षणिक, सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लिये वक्फ कृषि भूमियॉ दीर्घ अवधि 30 वर्ष तक के लिये पटटा नियम अनुसार लीज पर लिये जाने हेतु प्रस्ताव दिया गया है।

कार्यालय द्वारा इस विषय पर बोर्ड के संज्ञान में यह लाया गया है कि इस संबंध में बोर्ड के समक्ष एक शेक्षणिक संस्था "सबमिशन सोशल वेल्फेयर सोसायटी इन्दौर" द्वारा वर्ष 2021 में वक्फ दरगाह गुप्त पीर मौजा खजराना जिला इन्दौर की कृषि भूमि खसरा क. 366 तहसील इन्दौर जिला इन्दौर को दीर्घ अवधि 30 वर्ष के लिये लीज पर लिये जाने हेतु दिनांक 25.08.2021 को प्रस्ताव दिया गया था।

उल्लेखित है कि वक्फ अधिनियम की धारा–56 "**वक्फ संपत्ति का पटटा अनुदत्त करने की शक्ति पर निर्बन्धन**" में कृषि भूमियों को पटटे पर देने के संबंध में निम्नानुसार प्रावधानित है

" परंतु यह और कि किसी स्थावर वक्फ संपत्ति का, जो कृषि भूमि है, तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिये पटटा, वक्फ विलेख या लिखित में या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में कुछ भी अन्तर्विष्ट होते हुये शून्य और निष्प्रभावी होगा :

उपरोक्त की स्थिति में आवेदनकर्ता संस्था द्वारा केन्द्रीय वक्फ परिषद को भी उपरोक्त के संबंध में एक अभ्यावेदन क. SUB/WAQF/2021 Dated 16-09-2021 प्रेषित किया गया था, जिसके उत्तर में केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को पत्र क F.No. 45(1)/2002-CWC(WPLR) Dated 17 September 2021 प्रेषित करते हुये निम्न लेख किया था।

I am directed to make reference of the representation SUB/WAQF/2021 dated 16.09.2021 of Shri Faisal Quraishi, President of the Submission Social Welfare Society, on the aforesaid subject, to draw your kind attention and clarify the legal issue. It is said that the Submission Welfare Society is registered under M. P. Society Registration Act and running The Submission School of Learning & The Submission Study Centre with the focus upon good elementary education, and over all grooming of children & youth as the future growth.

2. The applicant has submitted that "the M. P. Waqf Board is not able to allot us land. being an agricultural land, due to clause (under section) 56 of the Waqf Act, whereas we are demanding land for educational purposes. This office has been asked for the clarification on the said clause. According to him the proposed waqf land is Dargah Gupta Peer, Mauja Kh.no.366, Khajrana, Tehsil, Indore. Copy is enclosed.

3. On the given circumstances, the following proviso may be perused under section 56 of the Waqf Act, 1995 "that lease of any immovable waqf property, which is an agricultural land, for a period exceeding three years shall, notwithstanding anything contained in the deed of instrument of waqf or in any other law for the time being in force, be void and of no effect." The Waqf Properties Lease Rules, 2014, as amended in 2020 has prima facie. described and connoted the above as purposes & period of lease. Rule 19 says "The Board may give on lease any immovable waqf property for the purpose and for the period relating thereto as under, namely: (v) for agricultural purposes, the lease shall be granted on year to year basis or until the life of the crop in case the crop has life span of more than one year. but no lease for agricultural purposes shall be granted for a agricultural purposes shall be granted for a period exceeding three years.

4. It is precisely clear from above that property of the Waqf may recorded in revenue record as "agricultural land" but due to which it is not barred from being leased for establishing or running educational institutions like school, and college etc. for a period upto thirty years under the clause (v) of sub-rule (1) of rule 19 of the Waqf Properties Lease Rules 2014, already made by the Central Government in exercise of power conferred upon it under the Waqf Act, 1995.

5. Thus the lease of the waqf properties may be executed by the competent authority, in the larger interest of waqf, for the protection of the Waqf, as well as to achieve its ultimate goal of the welfare of the society by way of imparting quality education, and grooming of children as future of the nation as ex facie reflexes at clause (iv) of Section 2 (r) of the Waqf Act, 1995 please.

Signed by Md. Afzalul Haque, Assistant Law Officer, Central Waqf Council Govt. of India.

उपरोक्त पत्र के पैरा–4 एवं 5 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि वक्फ अधिनियम की धारा–56 के आधार पर निर्मित वक्फ पटटा नियम 2014 की धारा 19(1)(5) कृषि भूमियों को अन्य प्रयोजनों हेतु दीर्घकालीन पटटे पर देने अथवा उनका उपयोग अन्य प्रयोजनों हेतु करने को बाधित नहीं करता है।

उपरोक्त प्रावधान के संदर्भ में निर्मित वक्फ पटटा नियम 2014 संशोधित 2020 की धारा–19 (1) (5) में निम्नानुसार प्रावधानित है :–

" कृषि प्रयोजनों के लिये पटटा वर्ष से वर्ष आधार पर या फसल की अवधि तक उस दशा में मंजूर किया जाएगा यदि फसल की अवधि एक वर्ष से अधिक है किन्तु कृषि प्रयोजनों के लिए किसी मामले में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये मंजूर नहीं किया जाएगा।"

कृषि भूमि को पटटे पर देने के संबंध में उपरोक्त दोनों प्रावधानों के संदर्भ में कृषि भूमियों को कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिये दीर्घकालीन पटटे पर दी जा सकती है अथवा नहीं ? सैन्ट्रल वक्फ कौंसिल से सलाह एवं विधिमत प्राप्त करने हेतु पुनः एक कार्यालयीन पत्र क्र. 5485 दिनांक 14.11.2022 प्रेषित किया गया था। जिसके उत्तर में सैन्ट्रल वक्फ कौंसिल द्वारा पत्र क्र. 18(1)2002–सी.डब्ल्यू.सी(म.प्र) दिनांक 21.11.2022 वक्फ बोर्ड को प्रेषित करते हुये निम्न विधिमत प्रदान किया था।

	आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी/सूचना	केन्द्रीय वक्फ परिषद का विधि मत
	नियम 19 वक्फ संपत्तियों को लीज पर देने एवं उसकी अवधि से संबंधित है नियम 19 (iv) के अंतर्गत् कृषि प्रयोजनों के लिये पट्टा तीन वर्ष के अवधि के लिये मंजूर किया जाएगा परन्तु ऐसी वक्फ कृषि भूमि जो कार्यालयीन रिकार्ड में कृषि भूमि अंकित है एवं शासकीय गजट में भी कृषि भूमि अंकित है। वर्तमान में उनमे से अनेको भूमियां शहर एवं नगर निगम की सीमा में आ गई है एवं उक्त भूमियों पर खेती नहीं की जाती है भूमियाँ खुले मैदान की शक्ल में है तथा अतिक्रमण की प्रबल संभावना है। क्या उक्त कृषि भूमियों को कृषि प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनों अस्पताल, शैक्षिक संस्था आवासीय आदि के लिए दिया जा सकता है ?	वक्फ पट्टा नियम, 2014 – वक्फ की कृषि भूमि को कृषि उद्देश्य के लिए पट्टा देने के नियम का उल्लेख करता है परन्तु ये नियम – वक्फ भूमि जो कृषि योग्य नहीं है या उसे – अतिक्रमण की प्रबल संभावना है उसके किसी – दुसरे उद्देश्य के उपयोग से नहीं रोकता, बल्कि धारा 32 वक्फ अधिनियम इत्यादि के द्वारा वक्फ बोर्ड से ये आशा की जाती है कि वक्फ हित में वक्फ भूमि का विकास सुनिश्चित करे। ऐसी स्थिति में चेंज इन लैंड यूज़ की संभावनाए भी होती है और ऐसी भू–भाग अस्पताल, शैक्षिक संस्था, आवासीय आदि उद्देश्य के लिए नियमानुसार दिए जा सकते हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा–32 में वर्णित प्रावधानों तथा केन्द्रीय वक्फ कौंसिल द्वारा उपरोक्त वर्णित विधिमत पत्र क F.No. 45(1)/2002-CWC(WPLR) Dated 17 September 2021 एवं पत्र क्र. 18(1)2002–सी.डब्ल्यू.सी(म.प्र) दिनांक 21.11.2022 से यह स्पष्ट है कि वक्फ संपत्तियों को संभावित अतिक्रमण से बचाना तथा उसके स्वरूप, विस्तार, अन्वेषण और अवधारण करने का दायित्व तथा कृषि भूमि के रूप में दर्ज संपत्तियों को भी विकास हेतु लंबी अवधि हेतु नियमानुसार किराये पर देकर आय अर्जित कर वाकिफ की मंशा अनुसार फलाही कार्य करना बोर्ड का दायित्व है।

उपरोक्त आधार पर यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के समस्त वैधानिक वक्फ संपत्तियों में उपलब्ध ऐसी संपत्तियॉ एवं कृषि भूमियॉ जो शहरी क्षेत्रों की सीमा के अंदर, सीमाओं के आसपास तथा शहरी सीमाओं के बाहर हैं किन्तु उनसे लाभार्जन नहीं हो पा रहा है अथवा नाममात्र का लाभार्जन प्राप्त हो रहा है जिनका उपयोग कृषि कार्य हेतु लाभप्रद नहीं है अथवा कृषि कार्य करना संभव अथवा लाभप्रद नहीं है तथा ऐसी भूमियॉ जिन पर अतिक्रमण की अत्यधिक संभावनायें हैं या जो अतिक्रमण की चपेट में आ गई हैं का उपयोग कृषि के अतिरिक्त शैक्षणिक, वाणिज्यिक, बाजार/व्यवसायिक, आवासीय फ्लैटों तथा ऐसे सभी लाभप्रद कार्य, प्रयोजन तथा योजनायें जो कि शासन की अनुमतियों की परिधी में आती हों के लिये किया जाये।

यह भी उल्लेखित है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय **भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन विकास योजना** अंतर्गत भी वक्फ संपत्तियों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को योजना का 60 प्रतिशत तक अनुदान दिये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। इस योजना अंतर्गत उपरोक्तानुसार प्रस्तावित वक्फ भूमियों तथा कृषि भूमियो की विकास योजनाओं को राज्य शासन की सहायता से कियान्वित किया जा सकता है।

भारत सरकार की NAWADCO (National Waqf Development Corporation Limited) द्वारा भी वक्फ संपत्तियों के विकास हेतु वित्तीय पोषण एवं सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्रस्तावित विकास हेतु लिया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त **BOT** (Built Operate and Transfer) **PPP** (Public Private Partnership) पद्धति के अनुसार जिस प्रकार केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं का निर्माण किया जाता है इसी तर्ज पर वक्फ संपत्तियों की विकास योजनाओं का कियान्वयन किया जा सकता है।

उपरोक्त आधार पर मान. बोर्ड के समक्ष प्रस्तावित किया गया कि, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के समस्त वैधानिक वक्फ संपत्तियों की ऐसी भूमियॉ एवं कृषि भूमियॉ जो शहरी क्षेत्रों की सीमा के अंदर, सीमाओं के आसपास तथा शहरी सीमाओं के बाहर हैं तथा जिनका उपयोग कृषि कार्य हेतु लाभप्रद नहीं है अथवा वहॉ कृषि कार्य संभव नहीं है तथा ऐसी भूमियॉ एवं कृषि

भूमियाँ जिन पर अतिक्रमण की अत्यधिक संभावनायें हैं या जो अतिक्रमण की चपेट में आ गई हैं का उपयोग कृषि के अतिरिक्त शैक्षणिक, स्वास्थय, वाणिज्यिक, बाजार/व्यवसायिक, आवासीय फ्लैटों तथा ऐसे सभी लाभप्रद कार्य, प्रयोजन तथा योजनायें जो कि शासन की अनुमतियों की परिधी में आती हों को :

1. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन विकास योजना अंतर्गत।
2. भारत सरकार की NAWADCO (National Waqf Development Corporation Limited) द्वारा भी वक्फ संपत्तियों के विकास हेतु वित्तीय पोषण एवं सहायता प्राप्त कर।
3. **BOT** (Built Operate and Transfer) पद्धति के आधार पर।
4. **PPP** (Public Private Partnership) पद्धति के आधार पर।
5. ज्वाईंट वेन्चर (सहभागी योजना) अंतर्गत।
6. एवं भविष्य में राज्य/केन्द्र शासन द्वारा लागू की जाने वाली ऐसी समस्त योजनायें जिनके उपयोग से वक्फ संपत्तियों का विकास किया जाकर वक्फ की आय में वृद्धि हो सके।"

——000——

बोर्ड बैठक क्र. 17 के आयटम न. 31 दिनांक 28.12.2024 पर उपरोक्तानुसार प्रस्तुत कार्यालयीन प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय प्रदान किया गया:–

"वक्फ बोर्ड की समस्त वैधानिक वक्फ संपत्तियों के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमियों एवं अन्य समस्त वक्फ संपत्तियों के उपयोग के संबंध में कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अध्ययन किया गया तथा सदस्यों द्वारा गहन विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से सभी सदस्य इस बात से सहमत हैं कि जनसंख्या वृद्धि एवं शहरों के विकास के कारण, शहरों के क्षेत्रफल का विस्तार, नये जिलों एवं नये शहरों का सृजन, मुख्य एवं सहायक सड़कों का निर्माण तथा प्रधानमंत्री सड़क योजना का सफलतापूर्वक कियान्वयन के कारण गॉवों से शहरों का जुड़ाव, औद्योगिक विकास एवं अन्य व्यापार, बाजार, विकास, गतिविधियों के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के अधिकतर शहरों के आसपास की वक्फ कृषि भूमियॉ, शहरों के विस्तारीकरण के कारण आबादी के मध्य एंव आसपास आ गई हैं। इस प्रकार की भूमियों के उपयोग को कृषि उपयोग के स्थान पर शासन द्वारा रहवासी/औद्योगिक/ व्यवसायिक एवं अन्य घोषित कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में भी आ जाने के कारण अधिकतर कृषि भूमियों पर कृषि कार्य करना संभव नहीं रह गया है तथा लाभप्रद भी नहीं रहा है। उल्लेखित है कि इन वक्फ सपंत्तियों से बोर्ड को नाममात्र की आय प्राप्त हो रही है। साथ ही बोर्ड का यह भी विचार है कि संपत्तियों की कीमतें बढ़ जाने के कारण भूमियॉ अत्यधिक मूल्यवान हो गई है जिसके कारण यह भूमियॉ अतिक्रमण का शिकार हो रही हैं, फलस्वरूप अतिक्रमण के प्रकरण निरंतर बढ़ते जा रहे हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित की धारा–32 के प्रावधान अनुसार एवं केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा प्रदान किये गये विधिमत पत्र क F.No. 45(1)/2002-CWC(WPLR) Dated 17 September 2021 एवं पत्र क्र. 18(1)2002–सी.डब्ल्यू.सी(म.प्र.) दिनांक 21.11.2022 के आधार पर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है कि, "मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के समस्त वैधानिक वक्फ संपत्तियों में उपलब्ध ऐसी समस्त वक्फ संपत्तियॉ एवं कृषि भूमियॉ जो नगर निगम सीमा का विस्तार, ग्राम निवेश सीमा का विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रों के लिये Special Economic Zone (SEZ) की घोषणा, आवास निर्माण के लिये भूमियों के उपयोग में बदलाव के कारण समग्र रूप से क्षेत्रों का विस्तार, नये जिलों/तहसीलों के सृजन के कारण क्षेत्रफल में विस्तार, मुख्य एवं सह सड़क मार्गों का विस्तार एवं निर्माण, प्रधानमंत्री सड़क योजना का सफलतापूर्वक कियान्वयन के कारण गॉवों का शहरों से संपर्क विस्तार, औद्योगिक विकास एवं अन्य विकास गतिविधियों के साथ–साथ व्यापार, व्यवसाय, बाजारों का विकास की गतिविधियों एवं इनके लिये भूमि की आवश्यकता के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के अधिकतर शहरों, कस्बों एवं ग्रामों की समस्त वक्फ भूमियॉ जिसमें वक्फ कृषि भूमियों का एक बड़ा हिस्सा है, विकास योजनाओं के कियान्वयन एवं विस्तारीकरण के कारण इन समस्त क्षेत्रों की वक्फ भूमियॉ योजना क्षेत्रों के साथ–साथ आबादी के मध्य एंव आसपास भी आ गई हैं।

इस प्रकार की वह समस्त वक्फ संपत्तियॉ, भूमियॉ एवं कृषि भूमियॉ जिनसे वक्फ को लाभार्जन नहीं हो पा रहा है अथवा नाममात्र का लाभार्जन प्राप्त हो रहा है जिनका वर्तमान उपयोग तथा कृषि एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग वक्फ के लिये लाभप्रद नहीं है साथ ही इन पर कृषि कार्य करना संभव एवं लाभप्रद नहीं है तथा ऐसी कृषि भूमियॉ एवं वक्फ संपत्तियॉ जिन पर अतिक्रमण की अत्यधिक संभावनायें हैं या जो अतिक्रमण की चपेट में आ गई हैं।

ऐसी वक्फ संपत्तियों का उपयोग शैक्षणिक, स्वास्थय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, बाजार विस्तार एवं निर्माण, व्यवसायिक, आवासीय फ्लैटों, स्पोर्टस काम्प्लेक्स (खेलकूद इत्यादि) तथा ऐसे सभी लाभप्रद कार्य, प्रयोजन तथा योजनायें जो कि शासन की अनुमतियों की परिधी में आती हों को :

1. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन विकास योजना अंतर्गत।
2. भारत सरकार की NAWADCO (National Waqf Development Corporation Limited) द्वारा भी वक्फ संपत्तियों के विकास हेतु वित्तीय पोषण एवं सहायता प्राप्त कर।
3. BOT (Built Operate and Transfer) पद्धति के आधार पर।
4. PPP (Public Private Partnership) पद्धति के आधार पर।
5. ज्वाईंट वेन्चर (सहभागी योजना) अंतर्गत।
6. एवं भविष्य में राज्य/केन्द्र शासन द्वारा लागू की जाने वाली ऐसी समस्त योजनायें जिनके उपयोग से वक्फ संपत्तियों का विकास किया जाकर वक्फ की आय में वृद्धि हो सके को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. वक्फ हित में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा एवं वक्फ की आय को बढ़ाये जाने के साथ साथ चहुमुखी सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिये, वक्फ बोर्ड की समस्त वैधानिक वक्फ संपत्तियों तथा वक्फ कृषि भूमियों का उपयोग उपरोक्त वर्णित क्रमांक 01 से 06 के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाये।

2 उपरोक्तानुसार वक्फ संपत्तियों के विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के पूर्व प्रत्येक वक्फ संपत्ति की विकास योजना हेतु पृथक से बोर्ड की सैद्धांतिक अनुमति प्राप्त की जाये तत्पश्चात पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाकर वक्फ पटटा नियम 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियॉं सुनिश्चित की जाये साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विकास हेतु वक्फ संपत्तियों को द्वितीय पक्ष को सौंपने के पूर्व वक्फ संपत्ति की स्थानीय कलेक्टर गाईड लाईन मूल्य का कम से कम 10 प्रतिशत राशि सुरक्षा निधि के रूप में वक्फ बोर्ड के पक्ष में जमा कराई जाना अनिवार्य होगा।

3. वक्फ संपत्तियों के विकास हेतु योजना में उपयोग की जाने वाली वक्फ भूमि का यदि डायवर्सन/अन्य उपयोग अनिवार्य है तो इसका समस्त खर्च प्रस्तावक/द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा। इस खर्च को किसी भी रूप में वक्फ बोर्ड द्वारा असफल प्रस्तावक को वापस नहीं किया जायेगा।"

——000——

माननीय बोर्ड के उपरोक्त निर्णय के अनुसार, वक्फ हित में वक्फ सम्पत्तियों की विकास योजनाओं के प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

म.प्र. वक्फ बोर्ड के उपरोक्त निर्णय को समस्त संबंधित शासकीय विभागों एवं कार्यालयों, व्यक्तियों, संस्थाओं, संबंधित शासकीय एजेंसियों आदि को सूचित करने हेतु एतद् द्वारा यह परिपत्र जारी किया जाता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड–शाखा/2025/ 228 भोपाल, दिनांकः 28/4/25

प्रतिलिपिः

1 प्रमुख सचिव म.प्र.शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ।
2 आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3 समस्त जिला कलेक्टर्स की ओर सूचनार्थ।
4 समस्त शाखाऍं कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड की ओर पालनार्थ।
5 प्रभारी आई.टी.सेल की ओर म.प्र. वक्फ बोर्ड की अधिकृत वेबसाईट www.mpwaqfboard.org पर प्रकाशन हेतु पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल